कार्यालय जिला कलक्टर भरतपुर

अपील / RTI / 05 / 2024

श्री कीर्ति सिहं एडवोकेट निवासी ई--21 अनिरूद्ध नगर, पदम विला के पीछे भरतपुर मो. नं. 9785946817

.....अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी सचिव नगर विकास न्यास, भरतपुर

.....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 19.02.2024

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट श्री कीर्ति सिहं एडवोकेट निवासी ई–21 अनिरूद्ध नगर, पदम विला के पीछे भरतपुर की अपील लोक सूचना अधिकारी सचिव, नगर विकास न्यास भरतपुर के विरूद्ध इस आशय की प्राप्त हुई है कि अपीलार्थी को चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। न्यायालय के पत्रांक कोर्ट / 23 / 38 दिनांक 23.01.2024 से लोक सूचना अधिकारी से अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध कराने / नहीं कराने की रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी सचिव, नगर विकास न्यास भरतपुर के पत्रांक सू0अ0 / 2024 / 728 दिनांक 08.02.2024 से जबाब प्राप्त हुआ, जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया, प्रार्थना पत्र एवं अपील का अवलोकन किया, अपीलान्ट ने अपनी अपील में अंकित किया है कि "लोक सूचना अधिकारी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध न करवाकर एक पत्र क्रमांक भू0अ0 / 2024 / आर.टी.आई. / 121 दिनांक 08.01.2024 जारी कर कहा गया है कि आप किसी भी कार्यालय दिवस में

.......2

जिला कलक्टर
भरतपुर

उपस्थित होकर रिकॉर्ड अवलोकन कर लें, चिन्हित दस्तावेजों की सूचना उपलब्ध करा दी जावेगी। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थना पत्र दिनांक 12.12.2023 में स्पष्टरूप से अंकित 7 बिन्दुओं की सूचना चाही गयी है।''.......

लोक सूचना अधिकारी सचिव, नगर विकास न्यास भरतपुर से प्राप्त जवाब का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी ने भी अपने जवाब में अपीलार्थी द्वारा अपील में अंकित कथन की पुष्टि करते हुये चाही गई सूचना से सम्बन्धित दस्तावेजों को चिन्हित कर सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु लिखा गया है।

अतः प्रस्तुत अपील के साथ संलग्न किये गये दस्तावेजों के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्ति हेतु किये गये आवेदन पत्र में स्पष्टरूप से अंकित 7 बिन्दुओं की सूचना चाही गई है। साथ ही आवेदन पत्र के बिन्दुओं में चाही गई सूचना से सम्बन्धित सूचना का विवरण, समयावधि एवं दिनांक स्पष्टरूप से अंकित किये गये है। जिसमें रिकार्ड अवलोकन करने एवं चिन्हित करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अस्तु अपील स्वीकार की जाती है। लोक सूचना अधिकारी सचिव, नगर विकास न्यास भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दुवाईज सूचना अन्दर 15 दिवस में नियमानुसार उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी सचिव, नगर विकास न्यास भरतपुर को प्रेषित हो। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर